

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 115 / 2023

GCMS No. : 2023/255

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थी :-

जरिये सरकार भुराराम गोदारा  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  
अधिकारी पाली

श्री लालचंद पुत्र श्री देवीचंद जाति सोनी  
मैसर्स विशाल एजेन्सी एण्ड स्टोर  
पुनायता रोड पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006  
विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश सोलंकी।



:- निर्णय :-

दिनांक : 29.5.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 19.03.2023 को दौरान गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स विशाल एजेन्सी एण्ड स्टोर पुनायता रोड पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम लालचंद बताया एवं स्वयं को फर्म का मालिक होना बताया। फर्म का निरीक्षण के दौरान गोदाम में 80-90 कार्टुनों में 01 लीटर Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) रखा पाया गया जिसे अप्रार्थी ने आमजन को विक्रय हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये ओमप्रकाश कम्प्युटर ऑपरेटर कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाच हेतु ले रहा हूं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) के 01-01 लीटर की 16

*Lude*


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

बोतल वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 320/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थी से खरीदशुदा Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) के पैकेट को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-1732 लिखा एवं नमूना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) की खरीद का बिल पेश करने में असमर्थ रहे। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, नमूना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमूने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का नमूना संख्या आर-1732 के संबंध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/677/एक्ट/2023/720 दिनांक 31.03.2023 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा भविष्य में पुरी तरह से सावधानी बरती जायेगी। अप्रार्थी के यहां Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का निर्माण नहीं किया जाता है। थोक विक्रेता से जिस पैकिंग अवस्था में खरीद किया जाता है उसी अवस्था में आमजन को विक्रय किया जाता है। Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) के पैकिंग एवं लेबलिंग में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का फेर बदल नहीं किया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.03.2023 को अप्रार्थी की फर्म से Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-1732 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए हैं। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का नमूना कोड संख्या आर-1732 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया



  
भक्तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली

गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का नमूना Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया। जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Packaged Drinking Water (Bibseri Brand) का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी पर 10000/- अक्षरे दस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



*Lukh*

(डॉ राजेश गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

*Lukh*

(डॉ राजेश गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
पाली